

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री कुणाल तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण के लिए : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, एडिशनल एस. जी.
 श्रीमती कनक वर्मा, सी. जी. सी.

पी.एन.बी के लिए : श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता

= = = = =

भारत का संविधान---अनुच्छेद 226—भारतीय साक्ष्य अधिनियम---धारा 108—सेना के लिए
 पेंशन विनियम, 1961 (भाग- II)---पैरा 213—आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2007--- धारा
 34—विशिष्ट नीति और निर्देश सामान्य पेंशन नियमों/सामान्य निर्देशों पर पूर्वता लेते हैं—
 याचिकाकर्ता का मामला जिस पर उस तारीख पर लागू होता है, जिस पर उसके पति को
 “लापता मृत” योग्य को सकारात्मक विचार दिया गया।

आदेश: विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए याचिकाकर्ता का दावा नकारा गया—अनुग्रह के आधार
 पर भुगतान के लिए याचिकाकर्ता का दावा प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा विचार किया जाय।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सी ए वी निर्णय

दिनांक :- 03-04-2024

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव, विद्वान
 अधिवक्ता श्री कुणाल तिवारी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डॉ. के. एन. सिंह,

विद्वान सीजीसी श्रीमती कनक वर्मा, भारत संघ की ओर से विद्वान सीजीसी श्री मृत्युंजय कुमार को सुना गया।

2. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि सैन्य सेवा के दौरान याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु के कारण विशेष पारिवारिक पेंशन और अनुग्रह राशि के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में है।

3. याचिकाकर्ता, स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह की पत्नी है ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उत्तरवादीगण के अधिकारियों को याचिकाकर्ता के पक्ष में विशेष पारिवारिक पेंशन और अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए एक रिट जारी करने की मांग की है, साथ ही अधिकारियों की ओर से असाधारण देरी और चूक के लिए उचित ब्याज के साथ विशेष पारिवारिक पेंशन का बकाया भी दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु उनकी सैन्य सेवा के दौरान हुई थी।

4. इस प्रकरण पर निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का पति भारतीय सेना में सिपाही था और 05.07.1989 को जब वह हिसार में तैनात था, तब वह अपनी इयूटी से लापता हो गया और जांच के बाद जब याचिकाकर्ता का पति नहीं मिला तो उसे 05.07.1989 से भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इसके बाद, जांच अदालत में, चार साल की लंबी अवधि के बाद जब याचिकाकर्ता के पति का शव या उसकी उपस्थिति या लापता होने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, तो उसे वर्ष 1992 में लापता घोषित करते हुये मृत मान लिया गया।

5. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता पूरी तरह से अपने पति की कमाई पर निर्भर थी और उसे उम्मीद थी कि प्रतिवादी अधिकारी पारिवारिक पेंशन शुरू करेंगे, जिसके

लिए याचिकाकर्ता ने कई पत्राचार किए, पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी दावे को अंतिम रूप देने के लिए ईएमई अभिलेख (सिकंदराबाद) से पेंशन क्लीयरेंस विभाग पीसीडीए (पी) इलाहाबाद को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि मृतक की मृत्यु 05.07.1989 को सेवा के दौरान हुई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता के पति की गुमशुदगी के संबंध में पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की मूल प्रति, पुलिस प्राधिकरण की जांच रिपोर्ट और मृतक की गुमशुदगी की तारीख सहित कुछ दस्तावेजों के अभाव में पारिवारिक पेंशन दावे का निपटारा नहीं किया जा सका। उपरोक्त सूचना ईएमई अभिलेख, सिकंदराबाद को भी दी गई है, जिसके जवाब में रिट आवेदन के अनुलग्नक-3 के माध्यम से याचिकाकर्ता के पति की गुमशुदगी की तारीख का विवरण एसएसपी, हिसार की फोटो स्टेट कॉपी और एसएचओ, सदर, हिसार की रिपोर्ट के साथ पीसीडीए (पी) इलाहाबाद को विशेष कथनों के साथ भेजा गया था कि पुलिस स्टेशन, सदर, हिसार ने याचिकाकर्ता के पति की गुमशुदगी की शिकायत पर विचार करने से इंकार कर दिया है, क्योंकि घटना पांच साल पहले की है और इसकी जांच करना मुश्किल था। उपरोक्त प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, पीसीडीए (पी), इलाहाबाद ने दिनांक 28.11.1994 के पत्र के माध्यम से फिर से प्राधिकारी को एफआईआर की प्रति अग्रसारित करने की सलाह दी या यदि पुलिस स्टेशन (सदर) हिसार द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो इसे जांच और विषय पर रिपोर्ट के लिए कोतवाली या उच्च अधिकारियों के समक्ष रिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें विशेष रूप से कहा गया कि पीसीडीए (पी) इलाहाबाद द्वारा पारिवारिक पेंशन के अनुदान के दावे पर निर्णय लेने के लिए ऑडिट में लापता होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

6. याचिकाकर्ता एक विधवा और अशिक्षित महिला होने के कारण पारिवारिक पेंशन के दावे के निवारण के लिए तकनीकी बातों का हवाला देकर इधर-उधर भटकने

के कारण उसे पारिवारिक पेंशन के निपटारे के लिए सभी संबंधित उच्च अधिकारियों के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंत में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सेना अधिकारियों की असंवेदनशीलता को देखा और हिसार में हुई घटना के लिए एफआईआर दर्ज करने की अपनी जिम्मेदारियों को याचिकाकर्ता पर डाल दिया, इस मामले में हस्तक्षेप करने और प्रतिवादी अधिकारियों को पारिवारिक पेंशन और उसके बकाया को शुरू करने का निर्देश देने के लिए सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15598/2017 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने अपने साथ हुए अन्याय का वर्णन करते हुए 16.04.2018 को सेना प्रमुख के समक्ष एक विस्तृत प्रतिनिधित्व भी किया। अंततः याचिकाकर्ता पर कुछ दया दिखाई गई और ईएमई अभिलेखों के अधिकारियों को अत्यधिक दयालु दृष्टिकोण अपनाने और याचिकाकर्ता को अधिकृत पेंशन प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया गया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात होगी कि रिट याचिका दायर करने के तुरंत बाद, प्रतिवादी अधिकारियों ने 29 साल बीत जाने के बाद एफ.आई.आर. दर्ज की। इस आधार पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को उसके पारिवारिक पेंशन के वैध दावे से वंचित किया गया, क्योंकि उन्होंने याचिकाकर्ता के पति के लापता होने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने से इनकार कर दिया और केवल इस न्यायालय के हस्तक्षेप पर, वर्ष 2018 में एफ.आई.आर. दर्ज की जा सकी।

7. रिट याचिका को अंततः दिनांक 15.03.2019 के आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक-12) के तहत निपटाया गया, जिसमें पीसीडीए (पी) इलाहाबाद को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने और पेंशन, पारिवारिक पेंशन सहित संपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान तीन महीने की अवधि के भीतर स्वीकार्य ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया गया।

8. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पारिवारिक पेंशन के दावे को पीसीडीए इलाहाबाद और ईएमई अभिलेख द्वारा तकनीकी आधार पर बार-बार अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता के मामले पर अत्यंत दयालु दृष्टिकोण से विचार करने के सेना मुख्यालय के निर्देश के बावजूद, दिनांक 19.05.2018 के आदेश के तहत, जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक-11 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, याचिकाकर्ता को विशेष पारिवारिक पेंशन और अनुग्रह राशि की अनुमति नहीं दी गई है, हालांकि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, जब वह हिसार में झूटी पर थे।

9. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक बार फिर सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कमांडिंग ऑफिसर-कम-चीफ अथॉरिटी, ईएमई अभिलेखों, सिकंदराबाद के समक्ष प्रतिनिधित्व किया कि उसे अनुग्रह राशि और विशेष पारिवारिक पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया गया है, याचिकाकर्ता को बताया गया कि चूंकि उसके पति को लापता घोषित कर दिया गया था या मृत मान लिया गया था, इसलिए वह विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

10. इस समय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय को जांच न्यायालय के निष्कर्ष (रिट आवेदन के अनुलग्नक-16) की ओर ध्यान दिलाया है और प्रस्तुत किया है कि जांच न्यायालय ने भी यह राय दी थी कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने पति के खिलाफ किसी गड़बड़ी के आरोप को कभी भी गलत साबित नहीं किया गया है और इसलिए, उचित जांच के माध्यम से एक सक्षम जांच एजेंसी द्वारा जांच करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, प्रतिवादी अधिकारियों ने कभी भी मामले को किसी भी जांच एजेंसी को नहीं सौंपा और वास्तव में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता के पति को वर्ष 1992 में लापता या मृत

घोषित करके मामले को बंद करने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की। कोई व्यक्ति जीवित है या मृत, यह तब तक साबित नहीं होता जब तक कि उसके बारे में सात साल तक सुनवाई न की जाए, हालांकि स्वाभाविक रूप से अगर वह जीवित होता तो उसके बारे में सुना होता, यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर आ जाता है जो इसकी पुष्टि करता है। *एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम अनुराधा, (2004) 10 एससीसी 131* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 (भाग-II) के पैरा 213 के मद्देनजर विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करना पूरी तरह से गलत है और इस स्वीकृत तथ्य के मद्देनजर टिकने योग्य नहीं है कि याचिकाकर्ता का पति अचानक अपनी इयूटी से लापता हो गया और कई आदेशों और निर्देशों के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही लापता होने का मामला किसी जांच एजेंसी को सौंपा गया, ताकि याचिकाकर्ता के पति की गुमशुदगी या मृत्यु की सही स्थिति का पता लगाया जा सके, हालांकि कोर्ट ऑफ इक्वायरी में याचिकाकर्ता के अपने पति के साथ गलत व्यवहार के तर्क को नकारा नहीं गया है। उपर्युक्त आधार पर, यदि याचिकाकर्ता के विशेष पारिवारिक पेंशन के दावे को सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 के पैरा 213 के आलोक में खारिज किया जा रहा है, तो प्रतिवादियों को न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि याचिकाकर्ता के पति की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण घाव, चोट या बीमारी के कारण नहीं हुई थी, जो तथ्य केवल तभी पता लगाया जा सकता था जब मामले की सक्षम एजेंसी द्वारा जांच की गई होती, लेकिन अधिकारियों की ओर से स्पष्ट रूप से चूक के कारण ऐसा नहीं किया जा सका और अब अधिकारियों को अपनी चूक का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में, *बिहार राज्य और अन्य बनाम*

कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड, (2010) 3 एससीसी 274 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया गया है।

12. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि *चरणजीत कौर (श्रीमती) बनाम भारत संघ, (1994) 2 एससीसी 1* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना को एक मृतक की विधवा को विशेष पारिवारिक पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और उसे अन्य भत्तों के अलावा 6,00,000/- रुपये के मुआवजे का हकदार पाया गया था।

13. अपने निवेदन को समाप्त करते हुए, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई (ओ. ए. संख्या 47/2013) द्वारा पारित आदेश की ओर आकर्षित किया कि बिल्कुल समान तथ्यों में, जहां आवेदक का पति लापता था और उसे मृत मान लिया गया था, न्यायाधिकरण ने माना है कि आवेदक अपने पति की मृत्यु की धारणा पर लापता होने की तिथि से विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार है।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस तर्क का खंडन करते हुए, भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. के. एन. सिंह ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया कि तीनों सशस्त्र बलों की सेवा मामले से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना के परिणामस्वरूप, वर्तमान मामले को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 34 के अनुसार शिकायत के निवारण के लिए संबंधित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रभावोत्पादक उपाय के अलावा, रिट याचिका रैस ज्यूडिकेटा/रचनात्मक रैस ज्यूडिकेटा के सिद्धांतों द्वारा भी वर्जित है क्योंकि

पहले, याचिकाकर्ता ने पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जो उसे पहले ही प्रदान किया जा चुका है और इस प्रकार विशेष पारिवारिक पेंशन/अनुग्रह की दलील, जैसा कि याचिकाकर्ता को पिछले मुकदमे में उपलब्ध थी, अब वर्तमान रिट याचिका में नहीं उठाई जा सकती है, जो निश्चित रूप से एक ही पक्ष के बीच यदि किसी मामले में निर्णय हो चुका है तो बाद में उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

15. इसके अलावा, अपने पति के खिलाफ कुछ गड़बड़ी के बारे में संकेत देने वाले कोर्ट ऑफ इंकवायरी के निष्कर्ष पर आधारित प्रस्तुतियों के जवाब में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि कोर्ट ऑफ इंकवायरी की राय की सिफारिश 57 मैकेनाइज्ड ब्रिगेडियर के समक्ष रखी गई थी, जहां इसे अस्वीकार कर दिया गया था और अंत में मामला मेजर जनरल, जीओसी के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 15.02.1992 के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहा था कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि भुवनेश्वर सिंह किसी की गड़बड़ी के कारण लापता हुए थे, लेकिन उनकी गुमशुदगी/मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस मामले की उचित सिविल जांच एजेंसियों द्वारा आगे की जांच करने का निर्देश दिया ताकि व्यक्ति की अंतिम स्थिति स्थापित की जा सके।

16. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपनी दलील दोहराई कि याचिकाकर्ता के पति के लापता होने में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

17. श्री सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 (भाग-I) के पैरा 213 पर ले गए और उल्लेख किया कि यह विशेष पारिवारिक पेंशन से संबंधित है और स्पष्ट शब्दों में यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति के परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है यदि उसकी मृत्यु (क)

किसी घाव, चोट या बीमारी के कारण हुई हो जो सैन्य सेवा के कारण हुई हो, या (ख) किसी घाव, चोट या बीमारी के सैन्य सेवा द्वारा बढ़ने के कारण हुई हो, जो सैन्य सेवा से पहले मौजूद थी या उसके दौरान उत्पन्न हुई थी। विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए उपर्युक्त आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का पति लापता है, जिसे मृत मान लिया गया है, तथा वह विशेष पारिवारिक पेंशन के अनुदान लिए उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता इसके लिए पात्र नहीं है।

18. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के लिए भी पात्र नहीं है, क्योंकि यह केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों के परिवार पर लागू होता है, जो आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा किए गए कृत्यों या हिंसा के कारण कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान दुर्घटना के कारण मर गए हों, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो गई हो, आतंकवादियों, उग्रवादियों आदि के खिलाफ कार्रवाई, प्राकृतिक आपदाओं, चरम/बहुत खराब मौसम की स्थिति के कारण निर्दिष्ट उच्च ऊंचाई वाले दुर्गम सीमा चौकियों आदि में झूटी के दौरान मृत्यु हो गई हो और युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान और विदेशी देश में युद्ध संभावित क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान मृत्यु हो गई हो। उपर्युक्त तर्क के लिए, उन्होंने रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 20(1)/98/डी (वेतन/सेवा) दिनांक 22.09.1998, यथा संशोधित पत्र संख्या 20(5)/2009/डी (वेतन/सेवा) दिनांक 04.06.2010 और पत्र संख्या 20(2)/2016/डी (वेतन/सेवा) दिनांक 02.11.2016 का हवाला दिया।

19. वर्तमान मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि **श्रीमती चरणजीत कौर** (उपरोक्त) के मामले में याचिकाकर्ता का

भरोसा लागू नहीं होता, क्योंकि उक्त मामले में चरणजीत कौर (श्रीमती) के पति को खेत में जली हुई अवस्था में पाया गया था और चूंकि उनके पति की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए निर्णय पारित किया था कि उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया संबंधित अधिकारियों की ओर से आपराधिक चूक और कमीशन के कृत्य से जुड़ी है। हालांकि, इस मामले में, प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई रहस्यमय कार्रवाई या आपराधिक चूक और कमीशन का कोई कृत्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता का पति एक शांतिपूर्ण क्षेत्र में सेवा कर रहा था और अपने कर्तव्य के स्थान से अनुपस्थित था, इसलिए उसका मामला **श्रीमती चरणजीत कौर (उपरोक्त)** के मामले के समान नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के पति को लापता घोषित कर दिया गया था, या मृत मान लिया गया था, उसकी मृत्यु की तुलना उक्त मामले से नहीं की जा सकती, इसलिए उसे सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी, जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उसे पहले ही भुगतान की जा चुकी है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के तर्क का मुकाबला करने के लिए **रेणु देवी बनाम भारत संघ और अन्य, (2020) 14 एससीसी 600**, के मामले में निर्णय के आधार पर अपने प्रस्तुतीकरण को और पुष्ट किया।

21. इस न्यायालय ने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क को ध्यानपूर्वक सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का भी गहनता से अध्ययन किया है।

22. जहां तक वैकल्पिक, प्रभावकारी उपाय के मुद्दे का सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने कई बार माना है कि वैकल्पिक उपाय को रिट

याचिका पर विचार करने के लिए पूर्ण प्रतिबंध के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता है, जिससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति का हनन हो, जिस शक्ति का प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हमेशा किया जा सकता है, भले ही पीड़ित व्यक्ति के पास कुछ वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों, जिनका उसने उपयोग नहीं किया हो।

23. यह भी सामान्य बात है कि एक बार जब मामले की योग्यता के संबंध में दलीलें पूरी हो जाती हैं और प्रारंभिक चरण में स्थिरता का मुद्दा तय नहीं होता है, तो मामले को वैकल्पिक उपाय के लिए स्थगित करने के बजाय, तथ्यों के अनुसार मामले का निपटारा करना उचित होगा। इस तरह के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने *श्रीमती कनक और अन्य बनाम यू.पी. आवास एवं विकास परिषद और अन्य, (2003) 7 एससीसी 693* के मामले में चर्चा की है।

24. अब रिट याचिका के रेस-ज्युडिकेटा/रचनात्मक रेस-ज्युडिकेटा द्वारा वर्जित होने के तथ्य पर आते हैं, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कानून के सामान्य सिद्धांतों पर रेस-ज्युडिकेटा की दलील को लागू करने के लिए केवल यह स्थापित करना आवश्यक है कि एक ही पक्ष के बीच एक ही मामले को पहले सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा तय किया गया था, जबकि रचनात्मक रेस-ज्युडिकेटा लागू होता है कि मामला एक मुकदमे में उठाया जा सकता था और उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उठाया नहीं गया है, इसे बाद के मुकदमे में नहीं लिया जा सकता है, अगर यह अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

25. निस्संदेह, मुकदमेबाजी के पहले दौर में, याचिकाकर्ता ने स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माननीय न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की थी, जो

एफआईआर न करने की तकनीकी दलील पर याचिकाकर्ता को नहीं दी जा रही थी और इस प्रकार विद्वान न्यायालय ने अधिकारियों की ओर से लापरवाही का एक स्पष्ट मामला पाया है और कानून के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए निर्देश देने की कृपा की है। हालांकि, विशेष पेंशन/अनुग्रह एकमुश्त राशि के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया गया है, जो इस न्यायालय की राय में कार्रवाई का एक अलग कारण देता है, और भी अधिक तब, जब विशेष पारिवारिक पेंशन/अनुग्रह एकमुश्त राशि के अनुदान के लिए याचिकाकर्ता के दावे को वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान दिनांक 15.10.2019 के आदेश के अनुसार खारिज कर दिया गया और इसे 2022 के आई.ए. संख्या 1 के तहत एक अंतरिम आवेदन दायर करके चुनौती दी गई है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय यह नहीं पाता है कि वर्तमान रिट याचिका किसी भी तरह से रेस-ज्यूडिकाटा/रचनात्मक रेस-ज्यूडिकाटा के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

26. अब विशेष पारिवारिक पेंशन के अधिकार के तथ्यों पर आते हैं, रक्षा कर्मियों के परिवारों के संबंध में, सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 (भाग-1) के पैरा 213 का उद्धरण उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"213. किसी व्यक्ति के परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है यदि उसकी मृत्यु

(क) किसी घाव, चोट या बीमारी के कारण हुई हो जो सैन्य सेवा के कारण हुई हो,

या

(ख) सैन्य सेवा के कारण घाव, चोट या बीमारी का बढ़ जाना, जो सैन्य सेवा से पहले मौजूद था या सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुआ था।"

27. ए ओ संख्या 1/2003/एम पी और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 12(16)/86/डी (पेन/सेर्स) दिनांक 03.06.1998 के प्रावधानों को उद्धृत करना भी वांछनीय होगा। जबकि ए ओ ने इकाइयों द्वारा लापता कर्मियों के मामले में अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रियाओं को बताता है, दिनांक 03.06.1998 का पत्र विशेष रूप से लापता सशस्त्र बल कर्मियों के संबंध में डीसीआरजी, छुट्टी नकदीकरण और पारिवारिक पेंशन की भुगतान से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित लिखा है:-

“सं.12(16)/86/डी (पेन/सेर्स)

भारत सरकार/भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून, 1998

प्रेषित

सेनाध्यक्ष

नौसेना प्रमुख

वायु सेना प्रमुख

विषय :- सशस्त्र बलों के लापता कर्मियों के संबंध में डीसीआरजी की

भुगतान, अवकाश नकदीकरण और पारिवारिक पेंशन ।

महोदय,

इस मंत्रालय को ऐसे सैन्यकर्मियों के परिवारों को सेवांत और अन्य पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए कई मामले भेजे गए हैं, जो सेवाकाल और गैर-सेवाकाल के दौरान अचानक लापता हो गए हैं और जिनके बारे में पता नहीं है। वर्तमान में ऐसे सभी मामलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। सामान्य तौर पर, जब तक कर्मचारी के लापता होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि बीत नहीं जाती, तब तक उसे मृत नहीं माना जा सकता और इसलिए उसके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिया जा सकता। यह सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 पर आधारित है, जिसमें प्रावधान है कि जब यह प्रश्न हो कि व्यक्ति जीवित है या मृत और यह साबित हो जाता है कि यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविक रूप से उसके बारे में उन लोगों ने 7 वर्षों तक नहीं सुना था, जो उसके बारे में सुनते, तो यह साबित करने का भार कि वह जीवित है, उस व्यक्ति पर आ

जाता है जो इसकी पुष्टि करता है। इसके परिणामस्वरूप उन परिवारों को बहुत कठिनाई और संकट का सामना करना पड़ता है, जिन्हें सेवांत लाभ दिए जाने से पहले 7 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

2. अतः राष्ट्रपति यह निर्णय देते हैं कि जब भारतीय सशस्त्र बलों का कोई सदस्य सेवा के दौरान लापता घोषित किया जाता है, तो उसके परिवार को लापता कार्मिक के संबंध में बकाया देय राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे:-

(क) लापता होने की घोषणा की तिथि के तुरंत बाद

लापता कार्मिक द्वारा किए गए नामांकन के अधीन देय वेतन, देय अवकाश नकदीकरण और डीएसओपी/एएफपीपी फंड राशि।

(ख) लापता होने की घोषणा/मृत्यु की धारणा की तिथि से एक वर्ष बीत जाने के बाद

सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन/डीसीआरजी आदि।

3. उपरोक्त लाभ निम्नलिखित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद स्वीकृत किए जा सकते हैं:-

(i) परिवार को संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी कि पुलिस द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बाद भी कर्मचारी का पता नहीं लगाया जा सका है।

(ii) दावेदार को दो विलायक जमानतदारों के साथ क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि यदि वह पुनः उपस्थित होता है और कोई दावा करता है तो इस प्रकार किए गए सभी भुगतान उसे देय राशि से वसूल किए जाएंगे।

4. परिवार, पारिवारिक पेंशन और डीसीआर ग्रेच्युटी की मंजूरी के लिए प्रक्रिया के अनुसार सेवा कर्मियों के लापता होने की घोषणा की तारीख से

एक वर्ष के बाद पारिवारिक पेंशन और डीसीआर ग्रेच्युटी के लिए संबंधित प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। यदि आवेदन की तारीख से 3 महीने के भीतर डीसीआर ग्रेच्युटी का वितरण नहीं किया जाता है, तो लागू दरों पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।

5. अधिकारियों के मामले में, सेवा मुख्यालय में संबंधित शाखा/डीटीई तथा नौसेना और वायु सेना में जेसीओ/ओआर और समकक्ष के मामले में, उनके संबंधित अभिलेख कार्यालय ऐसे मामलों को सीडीए (पी)/पीएओ/सीडीए (पी)/सीडीए(नौसेना)/सीडीए (वायु सेना) के साथ ऐसे मामले को संसाधित करेंगे।

6. इस पत्र के प्रावधान 29 अगस्त, 1986 से प्रभावी होंगे।

7. यह इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनके यू.ओ. संख्या 802-पेन 1988 के अनुसार जारी किया जा रहा है।

आपका विश्वासी

एसडी/- XX XX

(वाई. के. तलवार)

डेस्क अधिकारी”

28. यह न्यायालय सर्वप्रथम विशेष पारिवारिक पेंशन के मामले पर विचार करेगा, जो तब तक प्रदान नहीं की जा सकती जब तक कि तथ्य यह प्रदर्शित न करें कि सशस्त्र कर्मों की मृत्यु सैन्य सेवा के कारण हुए घाव, चोट या बीमारी के कारण हुई हो या सैन्य सेवा के कारण किसी घाव, चोट या बीमारी में वृद्धि हुई हो, जो सैन्य सेवा से पहले मौजूद थी या सैन्य सेवा के दौरान उत्पन्न हुई थी।

29. कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आधार पर वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह प्रतीत होता है कि एलआरडब्ल्यू मुख्यालय 57 मैकेनिकल के सीएफएन/रिक मैकेनिक भुवनेश्वर सिंह को मेजर आनंद की छुट्टी की अवधि के दौरान सुरक्षा उपायों

के रूप में रात में उनके आवास के बाहर रखवाली करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता के पति को इस कार्य के लिए चुना गया था, क्योंकि वह पहले मेजर आनंद के सहायक के रूप में काम कर चुके थे। जांच के दौरान यह सामने आया है कि सिपाही भुवनेश्वर सिंह एक सरल, शांत, इच्छुक कार्यकर्ता और अपनी उप-इकाई में लोकप्रिय थे और उन्होंने कभी किसी समस्या की शिकायत नहीं की। 05.07.1989 को लगभग 6.00 बजे पता चला कि सिपाही भुवनेश्वर सिंह अपने कर्तव्य के स्थान से अनुपस्थित थे। तदनुसार, गिरफ्तारी रोल जारी किया गया और उनके एनओके (निकटतम परिजन) को 22.07.1989 को मुख्यालय 57 मैकेनिकल ब्रिगेड द्वारा सूचित किया गया। सिपाही भुवनेश्वर सिंह का सारा सामान सही सलामत पाया गया और वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए क्योंकि उनका लॉकर और निजी संपत्ति उनके निजी बक्से में विधिवत बंद थी। उन्होंने अपने पीछे कोई नोट या पत्र नहीं छोड़ा जिसमें जगह छोड़ने का कारण बताया गया हो। मेजर आनंद की किसी भी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं पाया गया।

30. उपर्युक्त आधार पर, एक स्टाफ कोर्ट ऑफ इंकवायरी आयोजित की गई और कर्मियों के बयान में कुछ विसंगतियां पाई गईं, जो उसके परिचित थे और वहां मौजूद थे। सिविल पुलिस से भी सत्यापन किया गया है, लेकिन उसका पता नहीं लगाया जा सका और इस प्रकार याचिकाकर्ता के अपने पति के खिलाफ कुछ गड़बड़ी के आरोप का समर्थन किया जाता है और इसलिए, यह सिफारिश की गई थी कि मामले को जांच के लिए एक सक्षम जांच एजेंसी को सौंप दिया जाना चाहिए। मामले को उच्च प्राधिकारी के समक्ष रखा गया और भगोड़े की दलील को अस्वीकार कर दिया गया और इसलिए ब्रिगेडियर द्वारा सिफारिश की गई कि सिपाही भुवनेश्वर सिंह को दिनांक 28.12.1991 के आदेश के अनुसार लापता घोषित किया जाए, मृत मान लिया जाए। इसके बाद, मामले को मेजर जनरल (जीओसी) की राय के लिए रखा गया, जिन्होंने

भी यह कहते हुए सिफारिश का समर्थन किया कि उसके लापता होने/मृत्यु की धारणा से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सिपाही किसी के द्वारा किसी भी गड़बड़ी से लापता था। लेकिन स्पष्टतः, न्यायालय की राय में उक्त निष्कर्ष किसी भी ठोस एवं विश्वसनीय सामग्री पर आधारित नहीं था।

31. उपरोक्त चर्चाओं और ब्रिगेडियर तथा मेजर जनरल (जी.ओ.सी.) की राय में यह स्पष्ट हो गया है कि सिपाही भुवनेश्वर सिंह को लापता घोषित कर मृत मान लिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा इस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, सिवाय इस तर्क के कि प्रतिवादी अधिकारियों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में याचिकाकर्ता के पति को लापता घोषित कर दिया है, जो लापता होने की तारीख से चार साल के भीतर ही मृत मान लिया गया है। याचिकाकर्ता की दलील में कोई दम नहीं है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय में भारत सरकार ने दिनांक 23.03.1992 को पत्र जारी किया था (प्रति-शपथ पत्र के अनुलग्नक-आर/10) जो सभी थल सेना प्रमुखों, नौसेना प्रमुखों और वायु सेना प्रमुखों को संबोधित है, जो लापता सशस्त्र बलों के कर्मियों को डीसीआरजी, छुट्टी नकदीकरण और पारिवारिक पेंशन के संबंध में है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि सामान्य तौर पर जब तक कर्मियों के लापता होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि बीत न जाए, उसे मृत घोषित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार परिवारों को बड़ी कठिनाई और संकट का सामना करना पड़ता है, जिन्हें किसी भी टर्मिनल लाभ का भुगतान किए जाने से पहले सात साल तक इंतजार करना पड़ता है।

32. ऐसी कठिनाई और संकट को देखते हुए महामहिम, भारत के राष्ट्रपति यह संकल्प लेते हैं कि जब भारतीय सशस्त्र बलों का कोई सदस्य सेवा के दौरान लापता घोषित किया जाता है, तो परिवार को लापता घोषित होने की तिथि के तुरंत बाद

भुगतान किया जाएगा। उक्त पत्र के खंड 4 में कहा गया है कि परिवार पारिवारिक पेंशन और डीसीआर ग्रेच्युटी की मंजूरी की प्रक्रिया के अनुसार सेवा कर्मियों के लापता होने की घोषणा की तारीख से एक वर्ष के बाद पारिवारिक पेंशन और डीसीआर ग्रेच्युटी के अनुदान के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। उक्त पत्र के खंड 6 ने इस पत्र के प्रावधानों को 29.08.1986 से प्रभावी बना दिया।

33. पत्र में निहित स्पष्ट शर्त के आलोक में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के पति को लापता होने के चार साल के भीतर मृत घोषित करने में प्रतिवादी प्राधिकारियों की कार्रवाई में कोई त्रुटि नहीं पाता है।

34. अब याचिकाकर्ता के इस कथन पर आते हैं कि सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 (भाग-I) के पैरा 213 की व्याख्या याचिकाकर्ता के अहित में नहीं की जा सकती, क्योंकि मामले की जांच एजेंसी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच कराने के विशिष्ट आदेश के बावजूद, ऐसा नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में, सेना के किसी कार्मिक का लापता होना उस व्यक्ति से कमतर नहीं कहा जा सकता, जिसे सैन्य बल के कारण चोट या घाव लगा हो।

35. यह न्यायालय प्रासंगिक विनियमों और पत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, जो बड़ी संख्या में आकस्मिकताओं और परिस्थितियों से निपटते हैं, जिनके तहत पेंशन के विभिन्न कार्य देय हैं, इस स्थिति पर पहुंचा है कि लापता व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट नीतिगत निर्णय है, जो विशेष रूप से दिनांक 3.6.1988 के पत्र में निहित है। उक्त पत्र के पैरा 2 (बी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लापता होने/मृत्यु की धारणा की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद, सामान्य परिस्थितियों में स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यह सच है कि मृत मान लिए गए व्यक्ति के लापता होने की घोषणा के बावजूद, भले ही इसे सैन्य सेवा के कारण माना जाता है, यह

स्वचालित रूप से याचिकाकर्ता को सेना के लिए पेंशन विनियमन, 1961 के पैरा 213 के तहत विशेष पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं बनाता है। ऐसे कार्मिकों की श्रेणी के लिए विशिष्ट नीति अलग से मौजूद है, जहां मृत मान लिए गए या लापता व्यक्ति के संबंध में किसी मामले से निपटने के लिए सरकार द्वारा एक विशिष्ट नीति तैयार की गई है, जाहिर है कि यह बड़ी संख्या में आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए तैयार किए गए पेंशन नियम के लिए प्राथमिकता लेगा।

36. याचिकाकर्ता द्वारा अपने पति को लापता मान कर मृत घोषित करने का मामला उन लोगों से कुछ अलग और विशिष्ट श्रेणी का है जिनकी मृत्यु की पुष्टि तथ्यात्मक रूप से हो चुकी है, चाहे मृत्यु का मामला कुछ भी हो। परिजनों को वित्तीय कठिनाई से बचाने के लिए, सरकार ने लापता व्यक्तियों को “लापता मान कर मृत” घोषित करने की प्रक्रिया और समय सीमा निर्धारित करने और ऐसे कर्मियों के परिजनों को टर्मिनल लाभों का भुगतान करने के लिए एक विशिष्ट नीति जारी की है।

37. यह एक सिद्धांत बात है कि विशिष्ट नीति और निर्देश सामान्य पेंशन विनियमों/सामान्य अनुदेशों पर वरीयता लेते हैं, जो बड़ी संख्या में आकस्मिकताओं को कवर करते हैं, इस प्रकार यह न्यायालय पाता है कि विशेष पारिवारिक पेंशन के लिए याचिकाकर्ता का दावा मान्य नहीं है।

38. अब याचिकाकर्ता के पति की सैन्य सेवा के कारण हुई मृत्यु के कारण अनुग्रह राशि के हकदार होने के प्रश्न पर आते हैं, अनुग्रह राशि के एकमुश्त भुगतान को आकर्षित करने वाली परिस्थितियों से निपटने वाले प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा:

“अनुलग्नक-आर-12 (कॉली)”

सं. 20 (1)/98/डी (वेतन/सेवाएं),
भारत सरकार/भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय/रक्षा मंत्रालय,

नई दिल्ली-110011,
22 सितम्बर 1998

सेवा में

सेना प्रमुख, नई दिल्ली
नौसेना प्रमुख, नई दिल्ली
वायुसेना प्रमुख, नई दिल्ली

विषय: सेवा के दौरान मृत्यु और विकलांगता के मामलों में विशेष लाभ - सेवा के दौरान मरने वाले रक्षा सेवा कार्मिकों के परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें।

महोदय

मुझे भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 11-9-98 के कार्यालय ज्ञापांक सं.45/55/97-पी एंड पीडब्लू (सी) का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है और कहा गया है कि राष्ट्रपति यह निर्णय लेने के लिए प्रसन्न हैं कि रक्षा सेवा कार्मिकों के परिवारों को, जो अपने वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान मर जाते हैं, निम्नलिखित अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा: -

(क)	कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु	5.00 लाख रुपये
(ख)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा की गई हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान होने वाली मृत्यु	7.5 लाख रुपये*
(ग)	(1) अंतर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर झड़पों में दुश्मन की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु; और	रु.10.00 लाख*

(ii) उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों आदि के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु	
---	--

*भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 20 (1)/98/डी (वेतन/सेवाएं) दिनांक 03-08-1999 द्वारा संशोधित।

2. अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे की श्रेणीबद्ध संरचना कुछ कार्यों में शामिल कठिनाइयों और जोखिमों, विभिन्न परिस्थितियों में कमाने वाले की मृत्यु पर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली त्रासदी और अभाव की तीव्रता और परिमाण, विषम परिस्थितियों में काम करने के लिए कर्मचारियों से नियोक्ता की अपेक्षाएं आदि को ध्यान में रखती है। मुआवजे का उद्देश्य उन कर्मचारियों को अतिरिक्त बीमा और सुरक्षा प्रदान करना है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

3. वित्त मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1966 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19 (18)-ईवी (ए)/66 में नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रासंगिक असाधारण पेंशन नियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों में पुरस्कार स्वीकृत करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें प्रस्तावित पेंशन या ग्रेच्युटी स्पष्ट रूप से नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य मानी जाती है। हालांकि, अनुग्रह राशि के आधार पर दिए जाने वाले प्रस्तावित किसी भी पुरस्कार को हमेशा की तरह वित्त मंत्रालय को भेजा जाना जारी रहेगा। इन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, जहां तक वे अनुग्रह राशि पुरस्कारों से संबंधित हैं, इन आदेशों में निर्दिष्ट परिस्थितियों में अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे की स्वीकार्यता और पात्रता का निर्णय प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में *पीसीडीए (पी) इलाहाबाद द्वारा किया जा सकता है। (*भारत सरकार

के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 20 (1)/98/डी (वेतन/सेवाएं) दिनांक 12-04-1999 द्वारा संशोधित)।

4. इन आदेशों के अनुसार अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान को नियंत्रित करने वाली शर्तें और दिशा-निर्देश अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं।

5. ये आदेश 1 अगस्त, 1997 को या उसके बाद सेवा के दौरान हुई मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होंगे। जहां तक 1 अगस्त, 1997 से पहले हुई मृत्यु के मामलों का संबंध है, इन्हें इन आदेशों के जारी होने से पहले लागू आदेशों और निर्देशों के अनुसार विनियमित और अंतिम रूप दिया जाएगा।

6. ये आदेश रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या बी/39902/XXII/एजी/पीएस-4 (डी)/2069/डी (वेतन/सेवाएं) दिनांक 8 अक्टूबर, 1996 द्वारा इस विषय पर जारी पूर्व आदेशों तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 4 जून, 1997 द्वारा जारी संशोधन का स्थान लेंगे।

7. ये आदेश रक्षा (वित्त) की सहमति से उनके यू.ओ. संख्या 1869/अतिरिक्त एफ.ए. (डी)/98 दिनांक 11-9-1998 के अनुसार जारी किए गए हैं।

आपका विश्वासी

एसडी/-XXXXX

(बी.ब्रह्मा)

निदेशक (एजी)''

39. माना कि याचिकाकर्ता का पति उस समय लापता पाया गया जब वह अपनी इयूटी पर था, जब उसके पति को मेजर आनंद के घर के बाहर सुरक्षा उपाय के तौर पर उनकी छुट्टी के दौरान पहरा देने के लिए चुना गया था। जांच न्यायालय ने सुझाव दिया कि रहस्यमय परिस्थितियों में उसका लापता होना एक विशेष जांच एजेंसी द्वारा जांच की मांग करता है, लेकिन दुर्भाग्य से सिफारिश के बावजूद ऐसा कभी नहीं

किया गया। इस न्यायालय की राय में ऐसी दुर्घटनाएँ हमेशा इयूटी के दौरान दुर्घटना मानी जानी चाहिए, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए या बाद में लापता व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए। सेना के किसी जवान के इयूटी से लापता होने/गायब होने का कोई भी मामला, अगर रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ हो और उचित जांच न्यायालय द्वारा परित्याग साबित न हो, तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे मामलों को इयूटी के दौरान दुर्घटना कहा जा सकता है।

40. वर्तमान मामले के तथ्य में कोई अस्पष्टता या संदेह की गुंजाइश नहीं है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति इयूटी के स्थान से लापता पाए गए और गवाहों के बयान और कोर्ट ऑफ इंकवायरी के दौरान सामने आई परिस्थितियों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के पति का लापता होना रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ था। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता का मामला भारत सरकार द्वारा सामान्य पारिवारिक पेंशन के लिए बनाई गई नीति द्वारा शासित है, इस न्यायालय की राय में तथ्यों की समग्रता में याचिकाकर्ता के मामले पर नियमों/कानूनों के अनुसार अनुग्रह राशि के लिए सकारात्मक विचार की आवश्यकता है, जो उस तारीख को लागू थी जिस दिन उसे लापता घोषित किया गया था या मृत मान लिया गया था।

41. इसके मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका, जहां तक याचिकाकर्ता के विशेष पारिवारिक पेंशन के दावे का संबंध है, उसे अस्वीकार किया जाता है। हालांकि, जहां तक याचिकाकर्ता के अनुग्रह राशि के दावे का संबंध है, उस पर प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जो इस संबंध में सक्षम हैं, अधिमानतः इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/पेश करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर।

42. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

उदय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।